## भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण Insurance Regulatory and Development Authority of India

## <u>प्रेस विज्ञप्ति</u> PRESS RELEASE

01.09.2023

## आईआरडीएआई प्रत्याहरित जीवन बीमा उत्पादों के लिए अतिरिक्त विकल्पों को समर्थ बनाता है IRDAI enables Additional Options for Withdrawn Life Insurance Products

पालिसीधारकों को सशक्त बनाने तथा बीमा परिदृश्य में सुधार लाने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, आईआरडीएआई ने प्रत्याहरित जीवन बीमा उत्पादों के साथ पालिसीधारकों के लिए अधिक विकल्पों और लाभों की अनुमित देते हुए उपाय प्रारंभ किये हैं। तत्काल प्रभावी होते हुए, यह उन उत्पादों पर लागू है जो बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं हैं, परंतु जिनकी मौजूदा पालिसियों के लिए बीमाकर्ताओं द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया गया है (https://irdai.gov.in/web/guest/document-detail?documentId=3805685)

इस परिपत्र का मुख्य उद्देश्य वर्तमान पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करते हुए उनको अधिकाधिक लचीलापन उपलब्ध कराना है। उक्त निर्णय जीवन बीमा परिषद के साथ परामर्श करने के उपरांत लिया गया है।

## मुख्य उपबंधों में शामिल हैं :

- **राइडरों का परिवर्धन करना**ः कंपनियाँ प्रत्याहरित उत्पादों के वर्तमान पालिसीधारकों को नये राइडर प्रस्तावित कर सकती हैं।
- लचीले भुगतानः प्रीमियम भुगतान पद्धित बदलने के लिए विकल्प भी उपलब्ध कराया जा सकता है।
- निम्नतर ब्याज-दरें: पालिसी पुनःप्रवर्तनों और पालिसी ऋणों, यदि कोई हों, के लिए ब्याज-दरों में कमी की अनुमित दी गई है।
- भुगतान के अधिक विकल्पः पालिसीधारक यह चयन कर सकते हैं कि कितनी आवृत्ति के साथ वे आय लाभ भुगतानों के साथ अपनी पालिसियों से कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

इस पहल के साथ, आईआरडीएआई अधिकाधिक लचीलापन देने और पालिसीधारकों के बीमा अनुभवों में वृद्धि करने के द्वारा पालिसीधारकों के प्रति अपने समर्पण की पुनःपृष्टि करता है।

In furtherance to the unwavering commitment to empowering policyholders and improving the insurance landscape, IRDAI has introduced measures allowing more choices and benefits for policyholders with withdrawn life insurance products. Effective immediately, this applies to products which are no longer available for sale but still have existing policies serviced by insurers. A circular has been issued in this regard (https://irdai.gov.in/web/guest/document-detail?documentId=3805685)

The key objective of this circular is to provide greater flexibility to existing policyholders while safeguarding their interests. The decision follows consultation with the Life Insurance Council.

The key provisions include:

- Adding Riders: Companies can offer new riders to the existing policyholders of withdrawn products
- Flexible Payments: Option to change the premium paying mode can also be provided
- Lower Interest Rates: A reduction in interest rates for policy revivals and policy loans, if any is permitted.
- More Payment Options: Policyholders can choose how often they receive certain benefits from their policies with income benefit payments

With this initiative, IRDAI reaffirms its dedication to policyholders by offering greater flexibility and enhancing policyholders' insurance experiences.

\*\*\*